



पाकिस्तानी जुल्म का अंत

CAA: 158 लोगों को मिली आज़ादी !

BY - SUNIL VERMA SIR

dailyhunt

News | Video | Viral

Home / News / TimesNowनवभारत

पहले थे पाकिस्तानी, अब हो गए हिंदुस्तानी... 158 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, हिंदू लड़कियों बोलीं- पड़ोसी मुल्क में जबरन...

पहले थे पाकिस्तानी, अब हो गए हिंदुस्तानी...158 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, हिंदू लड़कियों बोलीं- पड़ोसी मुल्क में जबरन...



TimesNowनवभारत

21 hrs ago

A

hmedabad Indian Citizenship 158 Refugees CAA: गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सोला स्थित SAL इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लाभार्थियों को प्रमाणपत्र सौंपे।

DD News

अहमदाबाद : 158 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बांटे प्रमाण पत्र

गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम...

21 hours ago

Jagran

गुजरात: हर्ष संघवी ने 158 शरणार्थियों को सौंपे भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दीपावली से पहले 158 पाकिस्तानी...

13 hours ago

ThePrint Hindi

गुजरात में उपमुख्यमंत्री ने 158 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किए

अहमदाबाद, 13 अक्टूबर (भाषा) गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को...

19 hours ago

Navbharat Times

पाकिस्तान से आए 158 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी ने बांटे प्रमाण पत्र

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में...

22 hours ago

India Today

158 refugees get Indian citizenship certificates in Gujarat ahead of Diwali

Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi presented citizenship certificates to 158 refugees at a ceremony on Tuesday.

13 hours ago

GujaratSamachar English

Ahmedabad to Grant Indian Citizenship to 158 Refugees on Oc...

Ahmedabad will grant Indian citizenship to 158 refugees on October 13, including 126 under the CAA. This marks a key step in India's...

1 day ago

Bhaskar English

158 from persecuted minorities granted Indian citizenship in Ahmedabad: Told Bhaskar 'CAA restored dignity ...

Follow Bhaskar English for Ahmedabad citizenship updates. For those facing communal persecution in Pakistan, the Indian citizenship provides...

19 hours ago

tennews.in

Ahead of Diwali, 158 refugees get Indian citizenship certificates in Gujarat

Ahmedabad, Oct 13 (IANS) A total of 158 people who had migrated to India from neighbouring countries received Indian citizenship...

21 hours ago

The Times of India

158 refugees get Indian citizenship certificates in Ahmedabad

Ahmedabad district awards Indian citizenship certificates to 158 refugee families, including 126 under CAA; 1200+ approvals granted from...

13 hours ago

गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को **158 शरणार्थियों** को **भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र** प्रदान किए गए।



सोला स्थित **SAL इंस्टीट्यूट** में अहमदाबाद **जिला प्रशासन** की ओर से आयोजित समारोह में **उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी** ने लाभार्थियों को प्रमाणपत्र सौंपे।



इनमें **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)** के तहत **126 लाभार्थी** और कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत **32 लाभार्थी** शामिल हैं। कार्यक्रम में **शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्य मंत्री दर्शना बाघेला** के साथ शहर के मेयर, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे।



'आज का दिन हमारे लिए दिवाली जैसा है': हर्ष संघवी

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि **पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों के कुछ परिवारों** को अपनी सुरक्षा की चिंता के चलते भारत आकर बसना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऐसे **158 परिवारों को भारतीय नागरिकता** प्रदान की गई है।



संघवी के मुताबिक, लाभार्थियों ने **पाकिस्तान में अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और परेशानियों** के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि **एक बुजुर्ग लाभार्थी ने इस दिन को अपने परिवार के लिए दिवाली के समान बताया**। उपमुख्यमंत्री ने नागरिकता पाने वाले परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि **अब वे भारत के नागरिक हैं**।



18 साल से अहमदाबाद में रह रही कमल और सावी को मिली नागरिकता

नागरिकता पाने वालों में **कमल घेरा राजपूत और सावी घेरा राजपूत** भी शामिल हैं। दोनों की उम्र **31 वर्ष** बताई गई है। वे **रिश्तेदार** हैं और कमल के भाई की शादी सावी से हुई है। दोनों ने **Times Now Navbharat** से बातचीत में पाकिस्तान में अपने अनुभव और भारत में बसने के शुरुआती संघर्ष साझा किए।



कमल और सावी ने बताया कि उनका परिवार **वर्ष 2008 में वीजा लेकर ट्रेन से भारत आया था**। इसके बाद वे समय-समय पर **लॉन्ग टर्म वीजा (LTV)** का विस्तार करवाते रहे। भारत आने के शुरुआती दिनों में उन्हें **घर किराए पर लेने में परेशानी** हुई। उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने उनके **पाकिस्तानी मूल के कारण** उन पर संदेह किया और एक बार परिवार को **रात में घर खाली करना पड़ा**। उस दौरान परिवार की **महिलाओं ने एक छोटे कमरे में और पुरुषों ने छत पर रात बिताई**, जबकि बारिश हो रही थी।



दोनों महिलाओं ने **पाकिस्तान में लड़कियों की सुरक्षा** को लेकर भी चिंता जताई।



उन्होंने आरोप लगाया कि वहां लड़कियों को **बहला-फुसलाकर या जबरन अपने साथ ले जाने** की कोशिशें होती थीं।



सावी ने अपनी बहन का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे कथित तौर पर **जबरन ले जाया गया**, उसका **धर्म परिवर्तन** कराया गया और **उसका नाम बदलकर जोया रख दिया गया**। सावी के मुताबिक, उनकी बहन अब बच्चों के साथ वहां रहने को मजबूर है और परिवार को **धमकियों का सामना करना पड़ता है**। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।



2017 से 2025 के बीच 1,200 से अधिक लोगों को मिली नागरिकता

जिला प्रशासन के अनुसार, भारत सरकार ने 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार सौंपे थे।



प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2017 से 2025 के बीच अहमदाबाद जिले में 1,200 से अधिक आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए।



मंगलवार को नागरिकता पाने वाले 158 लोगों के लिए यह समारोह वर्षों के इंतजार के बाद एक अहम पड़ाव बना। लाभार्थियों ने इसे नई पहचान, सुरक्षा और भारत में अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से जुड़ा दिन बताया।



नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) क्या है, इसका उद्देश्य और मुख्य प्रावधान

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भारत के नागरिकता कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जो **पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत देने के उद्देश्य** से लागू किया गया है।



परिचय एवं पृष्ठभूमि:

नागरिकता संशोधन अधिनियम, **2019 (CAA)** भारत के नागरिकता अधिनियम, **1955** में संशोधन करता है। इस अधिनियम को **दिसंबर 2019** में संसद द्वारा पारित किया गया था।



पात्र देश एवं समुदाय:

यह कानून तीन पड़ोसी देशों—**पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान** से आए छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों:

- हिंदू • सिख • बौद्ध • जैन • पारसी
- ईसाई

के उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है जो **धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं।**



हिंदू



सिख



बौद्ध



जैन



पारसी



ईसाई

CAA के मुख्य प्रावधान

कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date):

नागरिकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो **31 दिसंबर 2014** या उससे **पहले भारत में प्रवेश** कर चुके हैं।



प्राकृतिक रूप से नागरिकता (Naturalization) की अवधि में छूट:

सामान्यतः भारत की नागरिकता (देसीकरण/ Naturalization के माध्यम से) पाने के लिए कम से कम **11 वर्ष** भारत में निवास करना अनिवार्य होता है। CAA के तहत इस अवधि को घटाकर **5 वर्ष** कर दिया गया है।



निवास अवधि में कमी



अवैध प्रवासी (Illegal Migrants) की श्रेणी से राहत:

इस कानून के तहत निदिष्ट शरणार्थियों को 'अवैध प्रवासी' नहीं माना जाएगा, जिससे **पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम** के तहत उन पर चल रहे **कानूनी मामले समाप्त** हो जाते हैं।



CAA लाने का मुख्य उद्देश्य

CAA को लागू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य **मानवीय आधार** पर पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को **राहत और कानूनी सुरक्षा** देना है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:



धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा:

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल देश हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धार्मिक भेदभाव और प्रताड़ना के कारण शरणार्थी बनकर भारत आना पड़ा।



कानूनी पहचान और अधिकार:

जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले बिना वैध दस्तावेजों या वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे, उन्हें 'अवैध प्रवासी' की श्रेणी से बाहर निकालना और उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार देना।



मानवीय जीवनस्तर प्रदान करना:

नागरिकता मिलने से इन शरणार्थियों को भारत में संपत्ति खरीदने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक रोजगार पाने का अधिकार प्राप्त हो सके।



CAA के तहत नागरिकता दिए जाने के ऑकड़े

CAA के नियम (Rules) **मार्च 2024** में अधिसूचित किए गए थे और **ऑनलाइन आवेदन पोर्टल** शुरू किया गया था।



प्रारंभिक चरण: मई 2024 में दिल्ली में पहला औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ गृह मंत्रालय द्वारा शुरूआती **300 से अधिक आवेदकों** को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए थे।



वर्तमान स्थिति: CAA पोर्टल पर अब तक **हजारों आवेदन** प्राप्त हो चुके हैं और राज्यों में गठित **जिला स्तरीय समितियों (DLCs)** द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद **चरणबद्ध तरीके से** पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आधिकारिक प्रक्रिया लगातार जारी है और नागरिकता देने का यह कार्य एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।



Thanks For Watching

Follow us for more Updates



@RRESULTMITRAOFFICIAL



Join our Telegram



@SUNILVERMA_THEIASMENTOR



Follow on Instagram



Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♥

Better
Students
Brighter
Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results
😊